महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – तेरासीवां संस्करण (माह फरवरी, 2023)

''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–दो
3. रा.ग्रा.वि.पं. संस्थान हैदराबाद एवं म.गां.रा.ग्रा.वि.पं. संस्थान जबलपुर के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 4 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरियन्टेशन एण्ड असेसमेंट) प्रोग्राम का आयोजन
4. मनरेगा अभिसरण से घास बीड़ तालाब वेस्ट वियर निर्माण कार्य से ग्रामीण जनों एवं किसानों में खुशहाली
5. संस्थान में सामाजिक जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण विषय पर जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्तियों (BRPs) का प्रशिक्षण
6. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रे–वाटर प्रबंधन
7. पंचायतीराज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का क्षमतावर्द्धन
8. काव्य रचना
9. बाल विकास की अवधारणा
10. मन के हारे हार है मन के जीते जीत

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार

श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक

श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का तेरासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का द्वितीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. जबलपुर में दिनांक 06 फरवरी 2023 से 07 मार्च 2023 तक प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डौरी, भिण्ड, दमोह, दतिया, ग्वालियर, मण्डला, मुरैना, नरसिंहपुर, शिवपुरी, उमरिया, बैतुल एवं राजगढ़ जिलो के जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्तियों का सामाजिक जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण विषय पर 30 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया है। जिसे **''संस्थान में प्रारंभ हुआ सामाजिक जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण विषय पर जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्तियों (BRPs) का प्रशिक्षण''** एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान हैदराबाद एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 4 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरियन्टेशन एण्ड असेसमेंट) प्रोग्राम दिनांक 7 से 10 फरवरी 2023 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में आयोजित किया गया। जिसे **''राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान हैदराबाद एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 4 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरियन्टेशन एण्ड असेसमेंट) प्रोग्राम का आयोजन''** समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

साथ ही संस्करण में **''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–दो''**, **''मनरेगा अभिसरण से घास बीड़ तालाब वेस्ट वियर निर्माण कार्य से ग्रामीण जनों एवं किसानों में खुशहाली''**, **''स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रे–वाटर प्रबंधन''**, **''पंचायतीराज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का क्षमतावर्द्धन''**, **''काव्य रचना''**, **''बाल विकास की अवधारणा''** एवं **''मन के हारे हार है मन के जीते जीत''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–दो

मध्यप्रदेश में पंचायतों का संचालन ''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस लेख के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में लागू किये गये प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।

इस लेख में अधिनियम के प्रावधानों की सूची दी जा रही है। लेख की विषय–वस्तु के विस्तार को ध्यान में रखते हुये लेख को दो भागों में तैयार किया गया है। माह–दिसम्बर 2022 में प्रकाशित 82 वें अंक में इस लेख के भाग–एक में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के स्वरूप एवं अध्याय एक से अध्याय छह में वर्णित धारा 1 से 61 तक की जानकारी दी गई।

अब इस अंक में लेख का भाग–दो प्रकाशित किया जा रहा है। इस भाग में आगे की जानकारी अधिनियम के अध्याय–सात से अध्याय पन्द्रह में उल्लेखित धारा 62 से 132 एवं अनुसूचियों का विवरण दिया जा रहा है।

मोटे तौर से देखा जावे तो, अधिनियम के अध्याय 7 पंचायत की निधि और उसकी सम्पत्ति धारा 62 से 68, अध्याय 8 पंचायतों की स्थापना बजट तथा लेखे धारा 69 से 73, अध्याय 9 कराधान और दावों की वसूली धारा 74 से 83, अध्याय 10 नियंत्रण धारा 84 से 94, अध्याय 11 नियम और उपविधियॉं धारा 95 से 97, अध्याय 12 शास्ति धारा 98 से 106, अध्याय 13 प्रकीर्ण 107 से 128, अध्याय 14 संपरीक्षा धारा 129, अध्याय–14–क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबन्ध धारा 129 क से 129 च तक, अध्याय 15 निरसन धारा 130 से 132 एवं 4 अनुसूचियां शामिल हैं। इन अध्यायों में शामिल धाराओं की सूची निम्नानुसार हैः–

अध्याय 7 पंचायत की निधि और उसकी सम्पत्ति

(62) राज्य सरकार कतिपय सम्पत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी

(63) पंचायत की निधियों का समनुदेशन

(64) पंचायत को सहायता अनुदान

(65) स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण

(66) पंचायत निधि

(67) संविदा निष्पादित करने का ढंग

(68) सहायता–अनुदान देने की शक्ति

अध्याय 8– पंचायतों की स्थापना बजट तथा लेखे

(69) सचिव तथा मुख्यकार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति

(70) पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक

(71) शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति

(72) मुख्यकार्यपालक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य

(73) बजट तथा वार्षिक लेखे

अध्याय 9 – कराधान ओर दावों की वसूली

(74) भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति

(75) खण्ड के भीतर सम्पत्ति के अन्तरण पर शुल्क

(76) जिला पंचायत राज निधि

(76–क) रकम का पंचायतों के बीच संवितरण

(77) अन्य कर

(77–क) कर अधिरोपित करने की शक्ति

(78) करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति

(79) कराधान क विरूध्द अपील

(80) बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना

(81) बकाया की वसूली

(82) अपवंचन के लिए शास्ति

(83) करों से राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति

अध्याय 10 –नियंत्रण

(84) पंचायतों के कार्य का निरीक्षण

(85) आदेशों आदि का निष्पादन निलंबित करने की शक्ति

(86) कतिपय मामलों में पंचायतों को संकर्मो का निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति

(87) व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरूपयोग आदि के लिए पंचायातें को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति

(88) पंचायत के कार्य कलापों की जॉच

(89) हानि, दुरूपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व

(90) पंचायतों और अन्य स्थानीय अधिकारियों के बीच विवाद

(91) अपील और पुनरीक्षण

(92) अभिलेख और वस्तुए वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति

(93) शक्तियों का प्रत्यायोजन

(94) नियंत्रण की साधारण शक्ति

अध्याय 11– नियम और उपविधियॉ

(95) नियम बनाने की शक्ति

(96) उपविधियॉ

(97) आदर्श (मॉडल) उपविधियॉ

अध्याय 12– शास्ति

(98) निर्रहित हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिए शास्ति

(99) हितवद्ध सदस्य व्दारा मत दिए जाने के लिये शास्तियॉ

(100) किसी सदस्य, पदधारी या सेवक व्दारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति

(101) अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध

(102) पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुचाने का प्रतिषेध

(103) सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेघ

(104) जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति

(105) बोली लगाने का प्रतिषेध

(106) किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रकिया

अध्याय 13 – प्रकीर्ण

(107) सद्भावपूर्वक किए गये कार्यो का परित्राण

(108) सूचना के अभाव में वाद (दावे) का वर्जन

(109) सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरूध्द कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्चे पर किया जायगा

(110) कर आदि के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही का वर्जन

(111) पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होगें

(112) रिक्ति या गठन की प्रकिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नही होगें ।

(113) भूमि का वर्जन

(114) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नही करेगी

(115) पंचायत की धन ऊधार लेने की शक्ति

(116) वसूल न की जा सकने वाली धन राशियॉ तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते डाला जाना

(117) सदस्यों आदि को परिश्रमिक का प्रतिषेध

(118) पंचायत के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा

(119) दस्तावेज आदि तामिल कराने की पद्धति

(120) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश आदि

(121) निर्वाचन मामलों में न्यायालयों व्दारा हस्ताक्षेप

(122) निर्वाचन अर्जी

(123)ऐसे व्यक्तियों को निष्कासित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने से इंकार करें

(124) स्वामी या अधिभोगी व्दारा व्यतिकम किए जाने पर पंचायत संकर्मो का निष्पादन कर सकेगी ओर व्यय वसूल कर सकेगी।

(125) ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, सम्मिलन तथा परिवर्तन

(126) ग्राम का विस्थापन

(127) खण्ड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन

(128) सरकारी भूमियों का प्रबन्ध

अध्याय–14 संपरीक्षा

(129) पंचायतों की संपरीक्षा

अध्याय–14–क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबन्ध

(129–क) परिभाषाए

(129–ख) ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन

(129–ग) ग्राम सभा की शक्तियॉ और कृत्य

(129–घ) ग्राम पंचायत के कृत्य

(129–ङ) स्थानों का आरक्षण

(129–च) जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियॉ

अध्याय 15– निरसन

(130) निरसन तथा व्यावृति

(131) विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यावृत्तियॉ

(132) कठिनाईयॉ दूर करने की शक्ति

अनुसूची –1

(1–क) ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अनिवार्य कर

(1–ख) ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अनिवार्य कर

अनुसूची –1–क ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर

अनुसूची –2

(2–क) ग्राम पंचायतों द्वारा अधिरोपित किये जाने अन्य वैकल्पिक कर फीस आदि

(2–ख) जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर

अनुसूची –2–क ग्राम सभा अधिरोपित किए जाने वाले अन्य वैकल्पिक कर, फीस आदि

अनुसूची –3 ग्राम पंचायतों द्वारा फीस संग्रहण कार्य का ठेके पर दिया जाना

अनुसूची –4 धारा 53 की उपधारा 1 के अनुसार पंचायतों को 29 विषयों से संबंधित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन

लेख के इस भाग में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के भाग–दो में अध्याय 7 से 15 तक में उल्लेखित धाराओं की सूची दी है। इस प्रकार से पूर्व के अंक और इस अंक में प्रकाशित भाग–एक एवं दो में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में उल्लेखित धारा 1 से 132 तक की सूची एवं 4 अनुसूचियों की सूची की जानकारी दी गई है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान हैदराबाद एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 4 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरियन्टेशन एण्ड असेसमेंट) प्रोग्राम का आयोजन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान हैदराबाद एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के सौजन्य से मास्टर रिसोर्स परसन के 4 दिवसीय सर्टीफिकेशन (ओरियन्टेशन एण्ड असेसमेंट) प्रोग्राम दिनांक 7 से 10 फरवरी 2023 तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के संचालक महोदय डॉ. संजय कुमार सराफ द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। संचालक महोदय का स्वागत संस्थान के संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर द्वारा किया गया। संयुक्त आयुक्त महोदय द्वारा स्वागत भाषण एवं मास्टर रिसोर्स परसन के आयोजित सर्टीफिकेशन प्रोग्राम पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में उपस्थित संचालक महोदय डॉ. संजय कुमार सराफ द्वारा मास्टर रिसोर्स परसन सटीफिकेशन प्रोग्राम के महत्व एवं चयन प्रक्रिया पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया । एनआईआरडी हैदराबाद के ट्रेनिंग मैनेजर श्री मुनीष जैन उपस्थित हुए एवं प्रतिभागियों के असेसमेंट के लिए नेशनल रिसोर्स असेसर श्री गौतम मुखर्जी कोलकता एवं डॉ. संजय कुमार

राजपूत एमजीएसआईआरडी एण्ड पीआर जबलपुर से उपस्थित हुए ।

श्री मुनीष जैन द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं 04 दिवसीय प्रशिक्षण की रूपरेखा व असेसमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा की गई एवं एनआईआरडी एण्ड पीआर हैदराबाद की फिल्म प्रतिभागियों को दिखाई गई ।

मास्टर रिसोर्स परसन के कार्यक्रम में इन्दौर संभाग इन्दौर के जिला इन्दौर/धार/झाबुआ/खरगोन/खण्डवा/ अलीराजपुर/ बुरहानपुर / बडवानी एवं छतरपुर/ पन्ना / सागर जिले के 40 प्रतिभागियों ने सहभागिता दी गई जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, स्वच्छताग्राही, एनआरएलएम के सीआरपी तथा जनप्रतिनिधि प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हुए।

कार्यक्रम का संचालन संस्थान के संकाय सदस्य श्रीमती सुधा जैन के द्वारा किया गया। इनके द्वारा मास्टर रिसोर्स परसन कार्यक्रम, पंचायतराज अधिनियम, संविधान के 29 विषय, ग्रामसभा, पेसा अधिनियम, जैण्डर, हितैषी ग्राम पंचायत इत्यादि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। संस्थान के संकाय सदस्य श्री राजेन्द्र जोशी द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हीत 09 विषयों पर एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा की गई । संकाय सदस्य श्री चन्द्रेश कुमार लाड़ द्वारा ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोत एवं स्व–कराधान पर चर्चा की गई। श्री गौतम मुखर्जी द्वारा प्रशिक्षण की पद्वतियॉ व कौशल विकास पर जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंतिम 02 दिवस में प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा पीपीटी, फिलीप चार्ट, बोर्ड, रोल प्ले जैसी गतिविधियों का उपयोग किया गया। प्रस्तुतिकरण के तरीके पर नेशनल रिसोर्स असेसर द्वारा प्रतिभागियों का असेसमेंट (मूल्यांकन) किया गया ।

अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया ।

सुधा जैन
संकाय सदस्य

मनरेगा अभिसरण से घास बीड़ तालाब वेस्ट वियर निर्माण कार्य से ग्रामीण जनों एवं किसानों में खुशहाली

भूमिका :– इन्दौर जिला जो कि मालवा अंचल में स्थित है इसके अन्तर्गत राजा देवपाल की नगरी देपालपुर तहसील भारत के भौगोलिक मानचित्र की टोपोशीट क्रमांक 46 N/9 पर 22, 51, 54 अक्षांष एवं 75, 33 देषांष पर स्थित है जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुमठा जो कि देपालपुर से लगभग 17 कि.मी. की दुरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत में कुल 288 परिवार निवासरत है, जिसकी कुल जनसंख्या 1667 है। जिसमें अनुसूचित जाति के 58 परिवार निवासरत है, व बी.पी.एल. 79 परिवार एवं 209 ए.पी.एल. परिवार तथा मनरेगा अन्तर्गत 102 कियाषील जॉबकार्डधारी परिवार है।

कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा एवं कियान्वित क्षेत्र में आवश्यकता :–

इस तालाब का निर्माण वित्तिय वर्ष 2001–2002 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा तालाब का निर्माण किया गया था जिसकी लागत 8.00 लाख रूपये थी। उक्त तालाब से आस–पास के ग्राम के लगभग 55 किसानो द्वारा 150 हेक्टयर् भूमि पर सिंचाई की जाती थी । साथ ही आस–पास जल का स्तर भी बढ़ा हुआ रहता था। लेकिन वित्तिय वर्ष 2020–2021 में अत्यधिक वर्षा होने के कारण उक्त तालाब की पाल एवं वेस्टवियर लगभग 32 फिट का पुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो गया था। जिसके कारण जिस तालाब में लगभग 8 माह पानी भरा रहता था वह पूरी तरह पानी बह जाने के कारण सूख गया था। जिससे आस–पास के उक्त किसान सिचांई से वंचित हो गए ओर लगभग 4000 क्विंटल गेंहू का उत्पादन भी कम हुआ तथा मवेषियो को भी पानी की कमी हुई।

कार्य को किस तरह से कियान्वित किया गया :– किसानो द्वारा सिंचाई की कमी एवं मवेषियो को पानी पिलाने की समस्याओ को देखते हुए ग्रामीणजनो द्वारा उक्त तालाब के कार्य को पुनः निर्माण करने हेतू ग्राम सभा में मांग रखी उक्त मांग के आधार पर उपयंत्री श्री दीपक मालाकार द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया उपयंत्री द्वारा उक्त कार्य को तकनिकी रूप से कैसे किया जा सकता है। उसके संबंध में ग्राम पंचायत ऐजेंसी से चर्चा की गई तद्पश्चात ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती दर्यावबाई कनीराम एवं सचिव श्री मुकेशचन्द्र राठौर व ग्राम रोजगार सहायक श्री अनोखीलाल पंवार द्वारा ग्राम सभा का

प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत के माध्यम से उक्त कार्य मनरेगा व जिले से प्राप्त 15वॉ वित्त राषि के अभिषरण से स्वीकृत कराया गया जिसकी तकनिकी स्वीकृति क्रमांक 249 दिनांक 15.04.2021 लागत 23.20 लाख थी, जिसका कार्य कोड **1723001039/WH/ 220120 34449890** था। स्वीकृति उपरान्त उक्त कार्य को उपयंत्री के तकनिकी मार्गदर्शन से ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा प्रारभ किया गया। जिसमें पूर्व में बने वेस्टवियर की

लम्बाई कम होने से वर्षा काल में आस–पास के पानी का बहाव अधिक होने से ग्रामीणो के घरो मे भी पानी भर जाता था जिससे ग्रामीणजनो को बहुत समस्या उत्पन्न होती थी जिसको उपयंत्री श्री मालाकार द्वारा उक्त वेस्टवियर की लम्बाई लगभग 65 फिट बढ़ाई गई, जिससे पानी के अधिक बहाव को वेस्टवियर की लम्बाई द्वारा फैला दिया गया और उसकी ऊँचाई लगभग 2.5 से 3.0 फिट रखी गई जिससे ग्रामीणजनो की समस्याओ का हल हुआ।

<u>उपलब्धि</u> :– उक्त तालाब पिछले 2 वर्षो से जल के अभाव में सूखा ग्रस्त हो गया था वो आज मनरेगा एवं अन्य योजना के अभिषरण से जलमग्न हो गया जिससे गांव के ग्रामीणजनो के साथ–साथ आस–पास के क्षैत्रो में भी जल स्तर बढ़ गया है। आज उक्त 13 हेक्टयर के तालाब से लगभग 55 किसान गेंहू, आलू, लहसन, प्याज, चना, आदि फसलो में सिंचाई कर फसलों से अधिक उपज का लाभ ले रहे है, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था में भी बढ़त हुई है। तालाब से लगभग 150 हेक्टयर कृषि भूमि की सिंचाई हो रही है। साथ ही मवेशियो को भी पीने के पानी की समस्या हल हुई है। आस–पास हरी–भरी फसलो को लहराते हुए किसानो में उत्साह देखने को मिला है।

चंद्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

संस्थान में प्रारंभ हुआ सामाजिक जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण विषय पर जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्तियों (BRPs)_का प्रशिक्षण

सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण समाज (ग्राम सभा) द्वारा किया जाने वाला अंकेक्षण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यक्रम/योजना एवं उनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन, प्रभाव एवं सत्यापन समाज द्वारा किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण मात्र लेखा या विकास योजनाओं में व्यय राषि के हिसाब–किताब (लेखा–जोखा) तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता, सार्थकता एवं उपयोगिता ग्रामीण सहभागिता द्वारा निर्धारित की जाती है। योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार का आंकलन किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण लोक निगरानी (जांच परख) में किए जाने की एक निरंतर प्रक्रिया है।

सामाजिक अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य :–

1. योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि करना।
2. जनता को उनके अधिकारों के बारे में सूचना प्रदान करते हुए शिक्षित करना।
3. जनता को उनकी आवश्यकता एवं शिकायतों को व्यक्त करने के लिए मंच की उपलब्धता।
4. जनता द्वारा योजना निर्माण से क्रियान्वयन तक के प्रत्येक स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना।
5. ग्राम सभा में सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम संसद के स्वरूप को प्रदान करना।
6. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय लोगों की क्षमता का विकास।
7. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रजातांत्रिक बनाने हेतु उन्हें मंच उपलब्ध कराना ताकि वह हितग्राहियों के प्रति अधिक जवाबदेह हो सकें।
8. योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन से जुड़ी खामियों को नियंत्रित करना।
9. आमजन की उपस्थिति में योजना क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की जांच करना एवं उस पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

10. स्थानीय शासन को सशक्त करना।

11. योजना के फीडबैक के लिए मंच उपलब्ध कराना।

12. अन्य अंकेक्षण प्रक्रिया की सहायक प्रक्रिया के रूप में काम करना।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी समग्र रूप से प्राप्त होती है।

सामाजिक अंकेक्षण और मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अंतर्गत कार्यों की लेखा परीक्षा नियम 2011 (भारत शासन का राजपत्र 30 जून, 2011) एवं मनरेगा ऑपरेशनल गाईडलाईन 2013 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा कार्यों का प्रत्येक छः माह में न्यूनतम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा (सामाजिक अंकेक्षण) कराना प्रावधानित है। यह नियम सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई की भूमिका, उसकी पूर्वापेक्षाएं, सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया और पद पर निहित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित करते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मनरेगा का क्रियान्वयन अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार हो रहा है या नहीं, साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरों को उनकी हकदारी उन्हें प्राप्त हो रही हैं या नहीं। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान क्रियान्वयन एजेंसी एवं समाज को हितग्राहियों के माध्यम से यह जानने का अवसर प्राप्त होता है कि मैदानी स्तर पर योजना की वास्तविक स्थिति क्या हैं, जिससे वह योजना का बेहतर क्रियान्वयन कर सकें।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्था –

सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण इकाई "म.प्र स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति" का गठन दिनांक 02 जनवरी 2013 को किया गया है। यह समिति "म.प्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973" अंतर्गत पंजीकृत है। समिति गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण कर प्रभावी रूप से सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया को संपादित कराना है।

जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्तियों (BRPs) का प्रशिक्षण –

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र. जबलपुर में दिनांक 06 फरवरी 2023 से 07 मार्च 2023 तक प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाडा, डिण्डौरी, भिण्ड, दमोह, दतिया, ग्वालियर, मण्डला, मुरैना, नरसिंहपुर, शिवपुरी, उमरिया, बैतुल एवं राजगढ़ जिलो के जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्तियों का सामाजिक जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण विषय पर 30 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया है जिसमें कुल 32 प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। उक्त प्रशिक्षण में भारत की संवैधानिक संरचना, गरीबी एवं समाज में असमानता, ग्रामीण प्रशासनिक संरचना, ग्रामीण विकास का इतिहास, म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, मनरेगा अधिनियम एवं मुख्य प्रावधान, मजदूरों के अधिकार, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, एमआईएस, तकनीकि जानकारी, रिपोर्ट लेखन, ग्राम पंचायतो में क्षेत्र भ्रमण एवं असेसमेंट आदि विषयो पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के पश्चात् जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्ति अपने दायित्वो का बेहतर निर्वाहन कर पायेंगे, जिससे पंचायतो में होने वाला सामाजिक अंकेक्षण अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगा।

डॉ. त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रे—वाटर प्रबंधन

ग्रामीण परिवेश में घरों से निकलने वाले अस्वच्छ पानी जो कि स्नानगार, किचन, आउटलेट एवं कपड़े धोने से प्रतिदिन नमी बनी रहती है जिससे आसपास फैलने से कीचड़ व गंदगी होती है। फलस्वरूप अनेक संक्रामक रोगों जैसे हैजा, टाईफाईड, दस्त, पेचिस के फैलने की आशंका बनी रहती है। अतएव उक्त अस्वच्छ पानी (ग्रे—वाटर) का उचित प्रबंधन आवश्यक हो जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अस्वच्छ पानी (ग्रे—वाटर) का नालियों से समुचित निकासी की व्यवस्था, सोख्ता गढडा निर्माण, किचन गार्डन निर्माण जिससे अस्वच्छ पानी का सही तरीके से निपटान हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया जाकर जागरूक किया जा रहा है।

घरों में प्रयुक्त होने वाले कुल पानी का लगभग 65 से 70 प्रतिशत पानी ग्रे वाटर के रूप में हमारे घर से बाहर निकलता है। उदाहरण के लिए यदि हम दिनभर में 200 लीटर पानी का उपयोग करते हैं तो उसमें ग्रे—वाटर की मात्रा लगभग 130—140 लीटर होती है।

भारत के कुल 6 लाख 28 हजार 221 गांवों की वर्तमान आबादी लगभग 90 करोड और शहरी क्षेत्र की आबादी लगभग 47 करोड है। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 55 लीटर प्रतिदिन के मान से घरेलू उपयोग के लिए करीब 5000 करोड लीटर पानी की आवश्यकता है और एक अध्ययन के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 करोड लीटर ग्रे—वाटर प्रतिदिन पैदा होता है।

<u>ग्रे—वाटर प्रबंधन में निम्न सावधानियां आवश्यक हैं —</u>

- ग्रे—वाटर में ब्लैक वाटर नही मिलना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले ग्रे—वाटर को ब्लैक वाटर से पृथक किया जाना चाहिए।
- ग्रे—वाटर को 24 घंटे से ज्यादा संग्रहित करके नही रखना चाहिए। हमें उसका उपयोग 24 घंटे से पूर्व कर लेना चाहिए वरना ग्रे—वाटर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ अपघटित (डी—कम्पोज) होकर दुर्गन्ध पैदा करने लगते है।
- ग्रे—वाटर का पुनरूपयोग/प्रबंधन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसे छूना नही है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और जीवाणु हो सकते है जिनमें किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

➢ ग्रे–वाटर को खुले में नही बहाना है। ग्रे–वाटर जमीन की सतह के नीचे छोड़ना चाहिए जहा से जमीन के नीचे की ओर उसका रिसाव हो और प्राकृतिक तरीके से उसका परिशोधन संभव हो सकें।

➢ ग्रे–वाटर का पुनरूपयोग पीने में या पशुओं को पिलाने में नही किया जाना चाहिए।

ग्रे–वाटर के क्या दुष्परिणाम है–

ग्रे–वाटर का उचित प्रबधंन नही करने से अनेक दुष्परिणाम हो सकते है–

गंदगी का फैलाव और अस्वच्छ वातावरण ग्रे–वाटर का सही तरीके से प्रबंधन नही हो पाने के कारण गांव में यहां–वहां गंदा पानी बहता रहता है और खासकर निचले हिस्सों में पानी का जमाव हो जाता है और यह रूका हुआ पानी बदबू मारने लगता है जिससे गांव मे अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ वातावरण का निर्माण होने लगता है। गांव में जगह–जगह गंदे पानी के जमाव से रास्तों से गुजरने में भी असुविधा होती है। कई बार जमा हुआ पानी दुर्घटना का कारण भी बन जाता है।

ग्रे–वाटर में मटमैलापन (टरबीडीटी) आर्गेनिक (कार्बनिक) और इन आर्गेनिक पदार्थ मौजूद होते है। मटमैलापन की अधिकता और नाईट्रोजन, फास्फोरस की मौजूदगी वाला ग्रे–वाटर जब जलीय वातावरण के संपर्क में आता है तो जलीय जीवन में बेतहाशा वृद्धि होती है जिसके कारण पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ओर जल संरचना में इकोलॉजिकल संतुलन बनाने वाले जीवाणु मर जाते है। फलस्वरूप पर्यावारण को नुकसान पहुंचता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव – गांव मे जगह–जगह जमा गंदे पानी में मच्छर पैदा होते है जिसके कारण मलेरिया फैलता है।

जल प्रदूषण – गांव से बहते हुए यह गंदा पानी जल स्त्रोतों तक पहुंच कर सतही और भू–जल को भी प्रदूषित कर देता है।

जल संकट – पानी एक प्राकृतिक संसाधन है और ग्रे–वाटर का प्रबंधन हनी करना पानी का दुरूपयोग है। इससे विद्यमान जल स्त्रोतों से अधिक मात्रा में जल निकालना पड़ता है।

ग्रे–वाटर प्रबंधन से होने वाले लाभ–

➢ ग्रे–वाटर का उचित प्रबंधन होने पर घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़को पर इकठ्ठा नही होगा। इससे गांव का वातावरण शुद्ध होने

के साथ मच्छर पैदा नही होंगे और कई बीमारियों में कमी आयेगी।

- ग्रे–वाटर के पुनरूप्योग से शुद्ध पानी की आवश्यकता घटेगी इसके कारण जल स्त्रोतों से घरों तक पानी को पहुंचाने में जो विद्युत/मानव ऊर्जा खर्च होती है उसमें कमी आएगी।
- जल प्रदाय योजना के अंतर्गत जल शोधन में लगने वाले रसायानों की बचत एवंज ल प्रदाय लागत में कमी लाई जा सकती है।
- पोषक तत्वों का पुनरूपयोग – रसोई घर से निकलने वाले ग्रे–वाटर में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते है जिसका उपयोग सिंचाई में करने से वनस्पति और पेड़–पौधों को पोषक तत्व मिल जाते है। इस तरह ग्रे–वाटर में मौजूद पोषक तत्व व्यर्थ नहीं जाकर उनका पुनरूपयोग हो जाता है।

हमारा सबसे पहले प्रयास यह होना चाहिए कि हम शुद्ध पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करे यानि जितने पानी की आवश्यकता है उतने ही पानी का उपयोग करें। ग्रे–वाटर का उचित प्रबंधन और ज्यादा से ज्यादा पुनरूपयोग करें ताकि शुद्ध जल का दोहन कम करना पड़े और भू–जल स्तर में वृद्धि हो जिससे हमारे जल स्त्रोत ज्यादा समय तक निरंतर पर्याप्त मात्रा में पानी प्रदाय कर सकें।

पोषण आहार की उपलब्धता –

घर में सब्जियों की बाडी लगाकर या फलदार वृक्षों का रोपण कर ग्रे–वाटर का पुनरूपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। ग्रे–वाटर के इस प्रकार से किये गये प्रबंधन से प्रत्येक परिवार को सब्जियां और फल के रूप में पोषक तत्व मिल सकेगें जिससे गरीब परिवारों में विशेषकर बच्चों में होने वाली कुपोषण की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

जल प्रदूषण में कमी –

घरों से निकलने वाले ग्रे–वाटर के उचित प्रबंधन से यह जल अपशिष्ट जल स्त्रोतो में नही मिल सकेगा और गांव को गुणवत्तापूर्ण पेयजल मिल सकेगा।

जी.एस.लोहिया,
संकाय सदस्य

पंचायतीराज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का क्षमतावर्द्धन

भारत में पंचायतीराज प्रणाली स्थानीय शासन और स्वराज्य का एक अनोखा उदाहरण है। इस प्रणाली के तहत ग्रामीण स्तर पर जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ग्रामीण समाज अपने प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए अपने क्षेत्र के विकास की दिशा और दशा तय करते है। इसमें निर्णय लेने का अधिकार ग्रामीणों के पास ही रहता है। हमारी आबादी का करीब आधा हिस्सा महिलाओ का है। महिलाओं को अधिक से अधिक पंचायतीराज में जोड़ने हेतु ३३% आरक्षण की व्यस्था है। संविधान का अनुच्छेद ४० राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व को स्थापित करता है, जिसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतो के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसे शक्तिया और अधिकार देगा जो उन्हें स्वशन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवशयक है। ७३ वां संविधान संशोधन से एक नया खंड IX जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक है पंचायतें। इसमें अनुच्छेद २४३ से २४३(ओ) के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा एक नयी ११ वी अनुसूची शामिल की गयी जिसके तहत पंचायतो के कार्यो के दायरे में २६ विषय शामिल किये गए।

महिलाओं के लिए आरक्षण –

संविधान के अनुच्छेद २४३(डी) के तहत पंचायतो की एक तिहाई (१/३)सीटें महिलाओ के लिए आरक्षित करनेका प्रावधान है, यानि कि इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत के सरपंचों की एक–तिहाई संख्या महिलाओं के लिये आरक्षित होनी चाहिये। देश में ऐसे पांच राज्य है, जिन्होंने पंचायतो में महिला आरक्षण का अनुपात ५०% कर दिया है। ये राज्य है बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता

देश में यह बात अधिकाधिक महसूस की जाने लगी है कि पंचायतराज संस्थाओ में महिलाओं के लिए ३३% आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कोई कारगर भूमिका नहीं निभा पा रही है। इसका मुख्य कारण उनके पास गावों के प्रशासन के लिए उपुक्त जानकारी, ज्ञान और पर्याप्त कौशल नहीं होता है। परिणाम स्वरुप उनके पति ही पंचायत के कर्ताधर्ता बन जाते है कई ग्रामीण इलाकों में 'पंचायत पति' की अवधारणा यानी पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग करना भी काफी प्रचलित है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राजनीतिक सशक्तीकरण सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई है और साथ ही महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 के 23.1% से घटकर वर्ष 2021 में 9.1% तक पहुँच गई है।सरकार के आर्थिक सर्वेक्षणों में भी यह माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। अतः महिलाओं एवं अन्य नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण की नितांत आवश्यकता है।

पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओ का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण भारत के संविधान के ७३वां संशोधन के अनुरूप आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की परिकल्पना साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह केवल एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है क्योंकि हर पांच वर्ष में पंचायतो के चुनाव होते है और पंचायत प्रणाली में बड़ी संख्या में नव निर्वाचित सदस्य प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम इन नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है और इसके पश्चात ५ वर्ष की कार्य अवधि में समय समय पर पुनर्श्च्या प्रशिक्षण देना भी आवश्यक होता है ये प्रशिक्षण उनके निर्वाचित होने के 6 महीने के भीतर आयोजित किये जाने

चाहिए और उनके लिए पुनर्श्च्या प्रशिक्षण भी यथासंभव बारंबार आयोजित किये जाने चाहिए लेकिन वो भी उनके पहले दो वर्ष के कार्यकाल में ,उसके पश्चात नहीं।

क्षमता निर्माण हेतु कार्य–

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना RGSA/NGSA के तहत राज्यों के निर्वाचित प्रतिनधि और कार्यकर्ताओ के लिए नियमित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु प्रावधान किये गए है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था ने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से ग्राम पंचायतो के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रारंभिक अभिविन्यास प्रशिक्षण और पुनर्श्च्या प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आदर्श प्रशिक्षण मॉड्यूल्स तैयार किये है।

इन आदर्श प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की विस्तृत रुपरेखा अपनाते हुए राज्यों के ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, ग्राम पंचायत स्तरीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु नोडल संस्थान अपने अनुभवों और नवाचारों का समावेश करते हुए स्थानीय संदर्भ और स्थानीय भाषाओं में अपने निजी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का पुनरीक्षण कर उन्हें नया स्वरुप दे सकते ह.

इन आदर्श प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में पांच घटक शामिल है

1) पांच दिन के साथ साथ तीन दिन का प्रारंभिक स्तर का अभिविन्यास प्रशिक्षण का मॉडल प्रशिक्षण डिजाइन और पांच दिनों के लिए पुनर्श्च्या प्रशिक्षण
2) प्रारंभिक अभिविन्यास प्रशिक्षण और पुनर्श्च्या प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मॉडल सत्र योजना और ट्रांसक्शन प्रक्रिया
3) प्रशिक्षण सत्रों के ट्रांसक्शन के लिए प्रशिक्षकों के द्वारा उपयोग हेतु पॉवरपॉइंट प्रस्तुति
4) प्रशिक्षकों के द्वारा उपयोग के लिए मॉडल ट्रांसक्शन नियमावली
5) प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के रूप में मॉडल लर्निंग सामग्री

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्रमबद्ध तरीके से आयोजित करने का कार्य SIRD एवं ETC द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधयों और कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास किया जा सके और वे ग्रामीण नागरिको के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वशासन के प्रभावी संस्थान के रूप में अपनी ग्राम पंचायत को मजबूत कर सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था ने भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय के सहयोग से निरंतर प्रशिक्षण और ई–सक्षमता द्वारा पीआरआई को मजबूत बनाने के माध्यम से भारत को बदलना (Transforming India & Strengthening PRIs by continuous Training and e-Enablement")शीर्षक से महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है।

परियोजनाओं के घटक निम्नलिखित हैं–

1) शिक्षण सामग्री का मानकीकरण

विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की जा रही सामग्री में सामग्री और गुणवत्ता के मामले में भिन्नता है। विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की जा रही सामग्री को संकलित करने और स्थानीय स्वाद खोए बिना संबंधित राज्यों को मानकीकृत और अनुकूलित करने का प्रस्ताव है। यह मॉड्यूलर सामग्री राज्य एसआईआरडी, ईटीसी और अन्य भागीदार संस्थानों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी और इसे समय–समय पर अपडेट किया जाएगा। समान सामग्री मॉड्यूल का उपयोग ऑनलाइन वितरण के लिए प्रचुर मात्रा में केस स्टडी और सफलता की कहानियों के साथ किया जाएगा जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक हैं।

2) मौजूदा मास्टर प्रशिक्षकों को संसाधन व्यक्तियों (MRP) का प्रमाणन–

मास्टर प्रशिक्षकों (MRP) का एक पूल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में वर्षों से बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि, मास्टर प्रशिक्षुओं के संबंध में गुणवत्ता, कवरेज और सामग्री वितरण और डेटा की कमी के मामले में एक बड़ा अंतर है। पहले से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसी तरह, ऐसे कई निर्वाचित प्रतिनिधिहैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया था और अब पीआरआई को मजबूत बनाने के माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में योगदान देने के इच्छुक हैं,उन्हेभी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रदान कर प्रशिक्षण हेतु तैयार किया जा सकता है। नए संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण का नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। यहां तक कि एक प्रशिक्षित प्रशिक्षक को भी अपने कौशल और ज्ञान के उन्नयन की आवश्यकता होती है। सरकार की बदलती पहल और नए कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए भी पुनश्चर्या प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। एसआईआरडी/राज्यों के पास अब संसाधन व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध है, भले ही उनकी आपूर्ति की गुणवत्ता कितनी ही खराब क्यों न हो, कुल संख्या 6 मिलियन कर्मियों को बार–बार पूरा करने के लिए अत्यधिक अपर्याप्त है। इसलिए, पीआरआई के लिए प्रासंगिक ज्ञान, कौशल और उचित दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए पीआरआई के सुदृढ़ीकरण में योगदान देने के लिए इच्छुक व्यक्तियों, जिनमें सेवानिवृत्त या युवा भी शामिल हैं, को नामांकित या प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

3) सफलता की कहानियों के प्रलेखन को बढ़ावा देना

SIRDs/ ETCs और प्रशिक्षु अपनी सफलता की कहानियों को साझा करते हैं लेकिन प्रलेखन आमतौर पर नहीं लिया जाता है। अभिनव उपायों को एक राज्य के भीतर भी साझा नहीं किया जाता है। सामग्री के प्रसारण के बिना अभिनव प्रथाएं केवल सीमित क्षेत्र में रहती हैं। संस्थानों में नेटवर्किंग की कमी के कारण अनुभवों को साझा करना संभव नहीं है। संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के लिए एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, और सफलता की कहानियों को संकलित करना चाहिए और इसे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साझा करना चाहिए, इसे बड़े प्रसार के लिए प्रकाशित करना चाहिए।

4) पंचायत के कामकाज को ई–सक्षम बनाना

वर्षों से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाकर पंचायतों के प्रभावी कामकाज को सक्षम करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने पंचायतों की अधिकांश सेवाओं और कार्यों को सक्षम करने के लिए बहुत व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस)टूल्स के उपयोग पर पंचायत पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक मिशन मोड अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है। इस हस्तक्षेप में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण पर विशेष हाथ और मदद शामिल होगी। जो राज्य अपने स्वयं के उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें भी प्लेटफॉर्म पर डेटा के निर्बाध प्रवाह को स्थापित करने के लिए पीईएस के तहत विकसित विभिन्न प्लेटफार्मों पर माइग्रेट किया जाएगा। इस प्रक्रिया में, 5 ग्राम पंचायतोंको डिजिटल पंचायतों के रूप में विकसित करने के लिए अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एनआईआरडी और पीआर द्वारा अपनाया जाएगा। इन पंचायतों को हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान कर आवश्यक क्षमताओं से लैस करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

दीर्घावधि में, ये परियोजना प्रभावी और सशक्त लोकतांत्रिक पंचायती राज संस्थान का निर्माण करके, सुसज्जित कर्मियों, संवर्धित कौशल और उपयुक्त तकनीकी सहायता के साथ ग्रामीण भारत में बड़े सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान देने में अहम् भूमिका निभा सकती है।

दीपा कोटस्थाने
सहा.संचालक

काव्य रचना

अपना शहर

भीड़ भरे सड़कें, कोलाहल और बेतरतीब यातायात
कैसे करुँ मैं अपने शहर की बात
चाहे दिन का उजाला हो या जगमगाती रात
क्या कभी सुधरेंगे, बदलेंगे शहर के हालत
कानफोड़ डीजे, जुलूस व रैली के साथ
बीमारों, वृद्धों, मरीजों के बिगड़ते हालात
मोबाइल पर चर्चारत वाहन चालकों की क्या करुँ बात
पहुँचा रहे हैं अपने ही जीवन को घात
चाहता हूँ एक व्यवस्थित, शांत शहर से मुलाकात
बेरोजगारी, नशे से जूझते युवाओं की हो बात
या माता–पिता से दूर होते युवाओं के हालात
चहता हूँ एक स्वस्थ, संस्कारित शहर से मुलाकात

अपनी खेती अपना काम

ई–फसल से बढ़िया दाम
चाहे मुस्काती भोर हो या सुनहरी शाम
ई–फसल से वाजिब दाम
चाहे मेहनत का मूल्य हो या योग्यता का काम
ई–फसल देगी सदैव उचित दाम
चाहे गेहूँ, चना हो या सोयाबीन का काम
ई–फसल से मिलेगा हमेशा अच्छा दाम
चाहे मांगीलाल हो या रमेश और राम
सबको मिलेगा ई–फसल से सही दाम
खेत हो या खलिहान, अब काम के साथ आराम
क्योंकि ई–फसल देगी निश्चित और सही दाम
गाँव–गाँव, खेत–खेत बस यही पैगाम
ई–फसल, ई–फसल, ई–फसल से बढ़िया दाम
शोषण साहूकारों का अब कोई ना लेगा नाम
ई–फसल सबको देगी, सम्मान और दाम

सुनहरी तस्वीर

कैषलेस व्यवस्था और बदलती हुई तस्वीर
मेहनतकश इंसान के पसीने से बनती हुई तकदीर
उभरते, गुनगनाते कवि की कविता से सृजित तकदीर
हँसते–मुस्कराते बच्चों की किलकारी से लबरेज तस्वीर
बदलते–बढ़ते हिन्दूस्तान की सुनहरी तस्वीर
स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, सबके आवास की तस्वीर
भूखे को रोटी, निराश्रित को पेंशन के साथ बदलती तस्वीर
हर हाथ में काम, जितनी मेहनत उतना दाम के साथ बनती तकदीर
भ्रष्टाचार, भय और भूखमुक्त भारत की उजली तकदीर
आईये, एक नये विकसित हिन्दुस्तान की बनाएँ तस्वीर

प्रतीक सोनवलकर, संयुक्त आयुक्त

बाल विकास की अवधारणा

सामान्य परिचय बच्चों को छोटे से बड़ा होते हम सभी देखते हैं लेकिन क्या हम कभी यह सोच–समझ पाते हैं कि उनका विकास कैसे हो रहा है? इस दौरान उन्हें किन–किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ? उनमें क्या– क्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक परिवर्तन हुए? क्या विकास एवं वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती है या रूक–रूक कर चलती है? एक ही अभिभावक के दो बच्चे बिल्कुल ही अलग क्यों होते हैं? बच्चे के विकास पर किन–किन कारकों का प्रभाव होता है एवं क्या प्रभाव होता है ? हर बच्चा अपने आप में अलग होता है अतः बच्चों के विकास को समझना तथा उन विधियों एवं तरीकों को जानना आवश्यक है जिनसे बच्चे के बारे में हमारी समझ बेहतर बन सके।

सामान्य अर्थों में बाल विकास से आशय एक बालक के संपूर्ण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकारों से होता है। विकास का अर्थ परिवर्तन होना है और परिवर्तन होने की प्रक्रिया सतत रूप से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। परिवर्तन दो तरह से होते हैं– मात्रात्मक परिवर्तन एवं गुणात्मक परिवर्तन, विकास क्रमिक एवं सतत रूप से चलने वाली वह प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भाषाई आदि विकास सम्मिलित होते हैं। विकास एक बहुमुखी क्रिया है, जिसके अनेक क्षेत्र हैं एवं यह परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास की प्रक्रिया में एक बालक गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विभिन्न पदों से गुजरते हुए पूर्णता अर्थात परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है।

विकास किसी भी प्राणी में होने वाला एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि एक प्राणी के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म, शैशवावस्था बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था एवं अंत में मृत्यु तक चलता रहता है। विकास का दौर प्रतिपल होते रहता है अर्थात मानव या किसी भी प्राणी में हर पल परिवर्तन होते रहता है। प्राणी में वातावरण के प्रभावों के कारण जो परिवर्तन होते हैं, वही विकास है।

विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता बल्कि इसके अंतर्गत व्यक्ति में वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक भाषाई, संज्ञानात्मक, नैतिक, गामक विकास आदि परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। विकास के परिणामस्वरुप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। हालांकि विकास की प्रक्रिया में होने वाले वर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है।

विकास से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन के साथ–साथ गुणात्मक परिवर्तन। इसमें केवल संरचना संबंधी ही नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी शामिल हैं। विकास से तात्पर्य है शारीरिक और तांत्रिकीय संरचना, प्रक्रियाओं, और व्यवहार में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन। जिनसे प्रत्येक व्यक्ति जन्म के आरंभ से लेकर अंत तक गुजरता है। वृ) विकास की वृहत्तर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगोचर न होने पर भी विकास जारी रहता है। किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि काफी धीमी पड़ जाती है और विकास की गति में इतना परिवर्तन नहीं आता। विचारों और सामाजिक कौशलों की जटिलता तथा भाषा में विकास इस निरंतर विकास के सूचक हैं।

संक्षेप में कह सकते है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, अपितु यह व्यवस्थित तथा समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है।

क्रमशः............. अगले अंक में

डॉ. वंदना तिवारी,
व्याख्याता

मन के हारे हार है मन के जीते जीत

हमारे यहॉ यह कहा जाता है कि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देते है। इंसान अगर यह ठान ले कि उसे अपनी वर्तमान स्थिती मे परिवर्तन लाना है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नही रोक सकती है बाधाएॅ अनेक आएगी किंतु आत्मविश्वास के बल पर वह उन सभी बाधाओं से पार पा सकते है। इसी बात का जीता –जागता उदाहरण ***श्रीमति आशा केवट ने प्रस्तुत किया है,*** श्रीमति आशा केवट हरदा जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर हंडिया गॉव की निवासी है। उनका बचपन अत्यंत गरीबी मे बीता परिवार शादी भी एक साधारण से 4 सदस्यीय गरीब परिवार मे हुई। ससुराल पक्ष मे भी मुख्य व्यवसाय मछली पकड़कर उसे बेच कर अपना परिवार का जीवनयापन करते है। लेकिन समय के साथ परिवार के सदस्य की स्थिती ओर भी दयनीय होने लगी अधिकांष समय वे खाली बैठने लगे। इससे परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति मे भी बहुत दिक्कत आने लगी लेकिन कहा जाता है कि ***हर काली रात के बाद एक सुनहरा दिन आता*** *है,* मई 2017 मे हंडिया गॉव मे ग्रामीण आजीविका मिषन ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई।

महिलाओं के समूह बनाने प्रारंभ किये। आशा केवट ने भी महिला समूह के बारे मे लोगो से जानकारी ली एवं स्वप्रेरित होकर महिलाओं के एक साथ कर स्व–सहायता समूह का निर्माण कराया एवं सर्वसम्मति से समूह के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। आजीविका मिषन के सिद्वांतो पर चलकर नियमित बैठक एवं बचत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद आषा ने आरसेटी केन्द्र से सिलाई का प्रषिक्षण प्राप्त किया सिलाई कार्य मे दक्षता होने के पश्चात सरकारी स्कूलों से गणवेश सिलने का कार्य मिल गया यह उसके आजीविका के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। आशा ने फिर अपने घर पर सिलाई का कार्य प्रारंभ कर दिया जो भी काम मिलता वह मेहनत के साथ उसे अंजाम देती। धीरे–धीरे उसकी आर्थिक स्थिती मे सुधार होने लगा। उसने समूह से ऋण लिया एवं उससे अपने **घर पर अगरबत्ती बनाने का कार्य** प्रारंभ कर दिया। इसके लिए कच्चा माल वह उज्जैन से मंगवाया उसके इस कार्य मे परिवार के अन्य सदस्य भी सहभागी बन गए उसकी सास नर्मदा जी के तट पर अगरबत्ती एवं प्रसाद बेचने का व्यवसाय करने लगी। धीरे–धीरे आशा के परिवार को सम्मानजनक आय अर्जित होने लगी। आशा के अनुसार अब **वह 10 हजार रूपए प्रतिमाह की आमदानी** से परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से करने लगी। उसने अपनी पढाई भी आगे जारी रखी एवं 10 वीं की परीक्षा अच्छे अंको के साथ उत्तीर्ण की है। आशा की लगन और मेहनत को देखते हुए आजीविका मिशन द्वारा उसे सीआरपी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। आशा के पति एक निजी फर्म मे वाहन चालक है। दोनों नियमित रूप से अपनी आय अर्जन के कार्य मे लगे है एवं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे है।

सारांश के रूप में यदि कहा जाए तो आशा केवट के आत्मविश्वास एवं वर्तमान परिस्थिती से संघर्ष करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण वह अपनी दयनीय परिस्थिती से न केवल अपने को वरन् अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी बाहर ले आई और आज एक सुखमय जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रही है।

नीलेश कुमार राय,
संकाय सदस्य